

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/1964

दिनांक : 23/03/18

कार्यालय आदेश

M/s Creative Health Care Pvt. Ltd., Plot No. 26 Kundeshwari, Village Kashipur-244713 Utarakhand, India की वर्ष 2016-17 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(197)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-14/2016/1298 दिनांक 14/10/2016 के तहत औषधि Calcium and Vitamin D3 Suspension (Each 5ml contains Calcium Carbonate equivalent to elemental Calcium 250 mg, Vitamin D3 125 IU) [441] की द्रवों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1825 दिनांक 07/02/2017 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 22 बैच को Assay of Vitamin D₃ एवं Microbial Examination Test में अमानक कोटि के घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के 17 बैच Assay of Vitamin D₃ एवं Microbial Examination Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। औषधि के 07 वैधानिक नमूने औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिया जाकर राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाये गये, जिसमें औषधि के उक्त नमूने को राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में औषधि के घटक Vitamin D₃ की मात्रा शुन्य पाई गई।

इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म को निविदा शर्तों के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 20/02/2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Spurious/Adulterated की श्रेणी में परिभाषित हैं।


निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग-दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2017-18/1329 दिनांक 13/12/2017 के क्लॉज 4.8 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Creative Health Care Pvt. Ltd., Plot No. 26 Kundeshwari, Village Kashipur-244713 Utarakhand, India को यह आदेश जारी करने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

22/3/18

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 1964 दिनांक : 23/03/18
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ उत्तराखण्ड।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Creative Health Care Pvt. Ltd., Plot No. 26 Kundeshwari, Village Kashipur-244713 Utarakhand, India.
14. आदेश पत्रावली।


 कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)